न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 13/2015

1. पतराम पुत्र नानूराम जाति ब्राहम्ण निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. कुलदीप पुत्र अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

––– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 27.02.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा
प्र0सं0 281/14 अनवानी पतराम बनाम कुलदीपसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री अशोक बैनीवान अधिवक्ता अपीलांट
श्री अमनदीपसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–27.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया कि माणकथेडी बारानी के खसरा नं. 133 मे 3.288 है0 बारानी कृषि भूमि मुताबिक खातेदारी अधिकार दिनांक 03.01.14 के वादी खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे किये गये अविधिक दस्तावेज विक्रय के आधार पर रेस्पो0 सं. 2 रेस्पो0 सं. 1 के नाम से नामान्तरण दर्ज करने से ममनू व बाज रहे। रेस्पो0 सं. 1 ने प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया कि अपीलांट ने सन् 2004 मे गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा पीलीबंगा से ऋण लिया था जिसमे राशि चुकता नही करने के कारण उक्त आराजी की दिनांक 25.02.08 को सार्वजनिक नीलामी की गई थी तथा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे दिनांक 09.05.2008 को विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था। बैंक द्वारा समस्त कार्यवाही राजस्थान सहकारी सोसायटी नियमो के तहत की गई। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम व नियमो के विरूद्ध कोई कार्यवाही राजस्व अथवा सिविल न्यायालयों मे नही की जा सकती। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.02.2015 को रेस्पो0 सं. 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का दावा खारिज कर

दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आक्षेपित आदेश विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश मे अपीलांट के दावे को खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया है कि बैंक द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे विक्रय पत्र राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2003 के तहत निष्पादित किया गया है, इस कारण उक्त मामले की सुनवाई की अधिकारिता सिविल व राजस्व न्यायालयों को नही है। विचारण न्यायालय यह मत दावा मे चाहे गये अनुतोष के विपरीत है। चूंकि वादी ने बैंक को अपने वादपत्र मे पक्षकार ही नही बनाया है तथा ना ही वादी ने अपने वादपत्र मे बैंक द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे किये गये विक्रय पत्र के अवैध व शून्य होने की घोषणा चाही है बल्कि वादी ने इस विक्रय पत्र को प्रारम्भ से ही फर्जी व अवैध मानते हुए मात्र भूमि के संबंध मे अपने अधिकारो की घोषणा चाही है। इसके अलावा वादी ने अपने वादपत्र मे बैक को ना तो पक्षकार है एव ंना ही बैंक के प्रति कोई अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे वादी के दावे को अस्वीकार करने का दूसरा आधार यह लिया है कि बैंक द्वारा तमाम कार्यवाही राजस्थान सोसायटी अधिनियम के तहत की गई है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्थान सोसायटी अधिनियम के तहत विधि द्वारा वर्जित है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट ने कैन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा पीलीबंगा से वर्ष 2004 मे ऋण लिया था तथा बैंक ऋण की राशि चुकता नही होने से बैंक ने नियमानुसार अपीलांट को नोटिस देकर व विधिक प्रक्रिया अपनाकर बैंक द्वारा

उक्त आराजी की दिनांक 25.02.2008 को सार्वजनिक नीलामी की गई थी। इस सार्वजनिक नीलामी मे रेस्पो0 सं. 1 की उच्च बोली होने के कारण नियमानुसार बैंक ने उक्त आराजी विक्रय की थी तथा जिसका विक्रय प्रमाण पत्र उपपंजीयक पीलीबंगा द्वारा दिनांक 09.05.2008 को तहरीर व तस्दीक किया गया है। उक्त विक्रय प्रमाण पत्र के अनुसार रेस्पो0 उक्त भूमि का सद्भावी खरीददार है तथा खरीद से आज तक शांतिपूर्वक काबिज है। रेस्पो0 कुलदीप ने ही इसके बाद पतराम द्वारा बैंक से लिये गये समस्त ऋण की बका समस्त राशि जरिये चालान बैंक मे जमा करवायी है तथा उक्त सनद की खातेदारी रेस्पो0 सं. 1 ने प्राप्त की है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को विधि द्वारा वर्जित मानते हुए अपीलांट का दावा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है जो सही है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि विवादित आराजी पर अपीलांट ने कैन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा पीलीबंगा से वर्ष 2004 मे ऋण लिया था तथा बैंक ऋण की राशि चुकता नही होने से बैंक ने नियमानुसार अपीलांट को नोटिस देकर व विधिक प्रक्रिया अपनाकर बैंक द्वारा उक्त आराजी की दिनांक 25.02.2008 को सार्वजनिक नीलामी की गई थी। इस सार्वजनिक नीलामी मे रेस्पो0 सं. 1 की उच्च बोली होने के कारण नियमानुसार बैंक ने उक्त आराजी विक्रय की थी तथा जिसका विक्रय प्रमाण पत्र उपपंजीयक पीलीबंगा द्वारा दिनांक 09.05.2008 को तहरीर व तस्दीक किया गया है। उक्त विक्रय प्रमाण पत्र के अनुसार रेस्पो0 उक्त भूमि का सद्भावी खरीददार है तथा खरीद से आज तक शांतिपूर्वक काबिज है। रेस्पो0 कुलदीप ने ही इसके बाद पतराम द्वारा बैंक से लिये गये समस्त ऋण की बका समस्त राशि जरिये चालान बैंक मे जमा करवायी है। रेस्पो0 के कथनो की पुष्टि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात विक्रय पत्र

दिनांक 01.04.08, विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 09.05.08, सनद दिनांक 03.01.14, रकम जमा कराने का चालान दिनांक 20.04.11, जमाबंदी चक मानकथेडी बारानी खसरा नं. 133 दिनांक 25.09.12, प्रार्थना पत्र तहसीलदार दिनांक 07.08.13, प्रार्थना पत्र बाबत रकबा बहाल दिनांक 12.05.11, विधिक नोटिस ए.डी. शाखा प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक आदि से होती है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे केन्द्रीय सहकारी बैंक को पक्षकार नही बनाया जबकि अपीलांट की कृषि भूमि की नीलामी कर उक्त भूमि बैंक द्वारा रेस्पो0 सं. 1 को विक्रय की गई। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 117 (2) के अनुसार इस अधिनियम मे यथाउपबंधि के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किये गये आदेश, विनिश्चय या अधिनियम को किसी भी न्यायालय मे किसी भी प्रकार के किसी आधार पर प्रश्नगत नही किया जायेगा। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत विधि द्वारा वर्जित होने के कारण विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपील मे वर्णित तथ्य सिद्ध नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही से अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.02.2015 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ